STAY ORDER

पत्रक

{General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ

पीठासीन अधिकारी– दमयंती कंवर आर.ए.एस. नवलगढ़

रामस्वरूप पुत्र प्रताराम जाति गुर्जर निवासी झाझड तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू आदि	**–बनाम–**	**सज्जन सिंह पुत्र बेरीशाल सिंह जाति राजपूत निवासी झाझड तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू वगैरह।**
किस्म मुकदमा – प्रा0 पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा		**मु.नं.** 32 **/ 2021** **GCMS No**

आदेश	कार्यवाही विवरण	पालना के क्रमांक व दिनांक
19.07.2021	आज यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदक की ओर से वकील **श्री सज्जन चाहर** ने विरूद्व अनावेदकगण बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया। प्रार्थना पत्र बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील आवेदक द्वारा प्रकरण मे निवेदन किया कि अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि राजस्व ग्राम झाझड़ हल्का झाझड़ तहसील नवलगढ की सरहद में स्थित 1719 रकबा 0.1300 हैक्टर भूमि पर न तो स्वयं कब्जा करने की कोशिश करे तथा न ही अपने आदमियों से करावे, तथा शांतिपूर्वक आवेदकगणों को उक्त निजी कब्जे शुदा कृषि भूमि का उपयोग–उपभोग करने देवे, तथा आवेदकगणों के उपयोग–उपभोग में अनुचित हस्तक्षेप न तो स्वयं करे तथा न ही अपने नौकर – चाकर व हिमातियों से करावें तथा मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करते हुये आवेदक वकील को एक पक्षीय सुना गया। प्रथम दृष्टया आवेदक वकील का उक्त कथन उचीत प्रतीत होता है। अतः अनावेदकगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे आगामी तारीख पेशी तक विवादग्रस्त भूमि वाके राजस्व ग्राम झाझड़ पटवार हल्का झाझड़ तहसील नवलगढ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1719 रकबा 0.1300 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अनावेदकगण की तलबी आवेदक के खर्चे पर जरिये रजिस्टर्ड डाक जारी हो। इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करे। उक्त आदेश किसी भी न्यायालय के किसी भी आदेश की पालना में बाधक नहीं होगा। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 27.08.2021 को पेश हो। **दमयंती कंवर (R.A.S.)** **ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)** **नवलगढ़**	
27/8/21	पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/अवकाश/अन्यकार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 5/10/21 को पेश हो।	
5/9/21	वकील आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र [illegible] वापिस लेने हेतु पेश किया [illegible] की गई। [illegible] ने प्रार्थना पत्र को [illegible] के आधार [illegible] खारिज किया जाता है। पूर्व आदेश दिनांक 19.7.21 भी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर [illegible] बाद तामील [illegible] दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)** **नवलगढ**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:38:26 IST
Reason: SelfAttested